बिहार विधान-सभा वाद्वृत्त

(भाग-1—कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

सोमवार, तिथि 29 मार्च, 1982 ई० ।

विषय-सूची

	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	
तारांकित प्रश्नोत्तर—78, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 647, 650, 651, 652, 654, 657, 660, 664, 667 एवं 701 ।	1—32
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	
बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 4 (ii) के परन्तुक के अंतर्गत सभा मेज पर रखे गये प्रश्नों के लिखित उत्तर:	33—146
दैनिक निबंध	147

टिप्पणी—किन्हीं माननीय मंत्रियों या सदस्यों ने अपने भाषण संशोधन नहीं किये ।

श्री एस० के० प्रसाद के संबंध में।

641. श्री वृशिण पटेल—क्या मंत्री, मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि—

(1) क्या यह बात सही है कि पशुपालन विभाग के कार्यकारी निदेशक श्री एस० के० प्रसाद के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई गम्भीर आरोप निगरानी विभाग को वर्ष 1980 में प्राप्त हुए हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि श्री प्रसाद एक ही साथ बिना सरकार की अनुमति प्राप्त किए हुए ही वर्ष 1981 से पटना, डालटेनगंज तथा रांची में मकान बनवा रहे हैं;

(3) क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग को प्रथम दृष्टया आरोपों के प्रमाण प्राप्त हो गए हैं फिर भी उनसे संबंधित सारी संचिकाओं को मुख्य सचिव के पीत पत्र द्वारा फरवरी, 1982 में मांग कर अपने यहां बंद करा दिए जाने के कारण आगे की कार्रवाई बन्द है;

(4) यदि उपरोक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—(1) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग वर्ष 1981 में पशुपालन विभाग के कार्यकारी निदेशक, श्री एस० के० प्रसाद के विरुद्ध परिवाद पत्र प्राप्त हुये हैं न कि वर्ष 1980 में।

(2) मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग में जो परिवाद पत्र प्राप्त हुए हैं उसमें एक आरोप मकान बनवाने का भी है।

(3) निगरानी विभाग द्वारा जांच अभी पूरी नहीं की गई है। यह सही नहीं है कि मुख्य सचिव ने जांच संचिका को फरवरी, 1982 में मंगवाकर अपने यहां बन्द करा दिया है। मुख्य सचिव ने यह जांच संचिका निदेशक, पशुपालन विभाग को नियुक्ति के संबंध में पशुपालन विभाग से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में मंत्रिमंडल सचिवालय में जाँच कर मुख्य मंत्री को उपस्थापित करने के लिये 23 मार्च, 1982 को निगरानी विभाग से मांगा था। यह संचिका 24 मार्च, 1982 को प्राप्त हुयी है।

(4) प्रश्न नहीं उठता।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि श्री एस० के० प्रसाद पर कौन-कौन से अभियोग थे ?

अध्यक्ष—अभी तो यह इम्मेच्योर है।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, यह 1981 का मामला है।

अध्यक्ष—नहीं। 24 मार्च, 1982 को उनके पास संचिका प्राप्त हुई है, ऐसा उन्होंने कहा है।

श्री वृशिण पटेल—यह इसलिये उठता है कि यह मामला 1981 का है।

अध्यक्ष—जांच के बाद ही तो यह प्रश्न उठता है।

श्री वृशिण पटेल—अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि जांच के बाद जो आदेश हुआ वह 1981 में हुआ।

अध्यक्ष—शांति, शांति। आप बैठ जांय। एक दरखास्त पड़ा तो 23 मार्च, 1982 के निष्पादन के बाद आपको राइट रहेगा प्रश्न उठाने का। अभी तो यह अपरिपक्व है।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—जांच तो हो ही रही है।

श्री वृशिण पटेल—मैं एक पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मुख्य सचिव ने निगरानी विभाग से संचिका मंगा कर क्यों बंद कर दी जबकि उनके मामले में प्राइमाफेसी साबित हो गया है?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—24 मार्च, 1982 को संचिका उनको मिली है।

अध्यक्ष—शांति। मुख्य सचिव का मंतव्य होता जब सरकार का हस्ताक्षर नहीं होता है। इसलिये अभी उस पर ऑर्डर नहीं माना जायगा।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—इनके आरोप से संबंधित संचिका जब मंत्रिमंडल (निगरानी) विभाग में गयी तो कितनी बार उस संचिका को विभाग से मांगी गयी?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—अभी तो हमारे पास डिटेल्स नहीं हैं। इतना तो जरूर है कि निगरानी विभाग में कहीं विलम्ब हुआ हो, यह तथ्यों से पता नहीं चलता है।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—तब मेरा प्रश्न है कि निगरानी विभाग द्वारा उस संचिका को संबंधित विभाग से कितनी बार मांगी गयी?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—एक बार मांगने का प्रश्न था, कितनी बार मांगी गयी, इस तरह का फिगर नहीं पूछा गया है।

श्री ब्रजकिशोर नारायण सिंह—समूची जानकारी के बाद ही संचिका कैबिनेट में गयी थी, इसलिये मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि यह संचिका कितनी बार संबंधित विभाग द्वारा निगरानी विभाग से मांगी गयी है और संचिका अभी कहां है ?

अध्यक्ष—हो गया, अब बैठ जायं ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—सूचना अनुसार मुख्य सचिव के यहां संचिका है।

श्री राजमंगल मिश्र—क्या यह बात सही है कि श्री एस० के० प्रसाद के संबंध में माननीय सदस्य, डॉ० रामराज प्रसाद सिंह ने मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा था कि ये बहुत भ्रष्ट आदमी हैं, इनको प्रोमोशन नहीं दिया जाय, जिसपर मुख्य मंत्री ने आदेश दिया कि उनकी अनुशंसा के अनुसार कार्रवाई की जाय ।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—इसकी सूचना नहीं है ।

श्री जनार्दन तिवारी—क्या यह बात सही है कि माननीय सदस्य, श्री महेन्द्र नारायण झा ने भी डॉ० रामराज प्रसाद सिंह की तरह ही 1980 में लिखा था, उनपर भ्रष्टाचार के अनेक आरोप हैं ? अध्यक्ष महोदय, सरकार इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, इसलिये मैं आपका प्रोटेक्सन चाहता हू ।

(जवाब नहीं मिला)

श्री मुंशीलाल राय—सबसे पहले यह संचिका मुख्य सचिव को कब मिली ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—23 मार्च 1982 को उन्होंने मांगा और 24 मार्च 1982 को उन्हें मिली ।

श्री मुंशीलाल राय—क्या सबसे पहले 24 मार्च, 1982 को ही मुख्य सचिव को संचिका मिली ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैं सबसे पहले की बात नहीं कर रहा हूं । मेरे पास जो सूचना है, उसके अनुसार 23 मार्च, 1982 को उन्होंने संचिका मांगी और 24 मार्च, 1982 को उन्हें संचिका मिली ।

श्री मुंशी लाल राय—आप कृपया इसमें गड़बड़ न करें । मेरे पास 8 फरवरी, 1982 की एक टिप्पणी है मुख्य सचिव की । मुख्य सचिव के पास यह संचिका लगभग 10 बार गयी है, इसलिये आप बतायें कि मुख्य सचिव को सबसे पहले यह संचिका कब मिली ?

अध्यक्ष—यह सूचना अभी इनको नहीं है ।

श्री बालिक राम—मैं जानता चाहता हूं कि निदेशक का पद हरिजन या आदिवासी के लिये सुरक्षित है फिर भी श्री रामराज राम जो बरौनी में हैं, उनको कार्यकारी निदेशक न बनाकर, श्री एस० के० प्रसाद, जिसपर भ्रष्टाचार के अनेकों आरोप हैं, उनको कार्यकारी निदेशक बनाया गया।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—सभी पूरक प्रश्न डेभिएसन में आ रहे हैं। सवाल था कि संचिका मुख्य सचिव के द्वारा दबा दी गयी या नहीं, इसका जवाब मैंने दे दिया कि संचिका दबायी नहीं गयी है।

श्री अजित कुमार सिंह—क्या सरकार श्री रामराज राम को इस पद पर प्रोन्नति देने जा रही है ?

(जवाब नहीं मिला)

श्री बालिक राम—मुझे जानकारी मिली है कि श्री एस० के० प्रसाद को स्थायी निदेशक बनाया जा रहा है, इसलिए अध्यक्ष महोदय में आप का प्रोटेक्सन चाहता हूं।

अध्यक्ष—प्रश्न का अन्तिम खंड ओपरेटिव होता है और उसमें है—"यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो सरकार दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कौन-सी कार्रवाई करना चाहती है, यदि नहीं, तो क्यों ?" यह प्रश्न निगरानी विभाग में लंबित है। अब इसमें प्रश्न है कि सरकार क्या कार्रवाई करना चाहती है और कबतक करना चाहती है। यही मूल प्रश्न है। अगर नियुक्ति का प्रश्न रहता तो श्री मिश्री सदा इसका जवाब देते।

श्री वृशिण पटेल—आपका आदेश था कि जबतक इनपर जांच होती रहेगी तब इनका प्रोमोशन स्थगित रहेगा.....

श्री श्रीनारायण यादव—मुख्य मंत्री का एक बार नहीं अनेक बार आदेश हुआ कि जांच के दौरान उनको प्रोन्नति न दिया जाय।

अध्यक्ष—एक दिक्कत हो रही है। दो विन्दुओं को एक साथ मिक्स-अप किया जा रहा है। एक तो यह कि निगरानी विभाग में उनके विरुद्ध लगाये गये अभियोगों की जांच, यह निगरानी विभाग से संबंधित है और दूसरा है इस पद को भरने की बात, यह पशुपालन विभाग से संबंधित है। हमारे सामने माननीय सदस्य, श्री वृशिण पटेल का प्रश्न है निगरानी विभाग से। तृतीय खंड में उन्होंने पूछा है कि क्या यह बात सही है कि निगरानी विभाग को प्रथम द्रष्टवा आरोपों के प्रमाण प्राप्त हो गये हैं, फिर भी उनसे संबंधित सारी संचिकाओं को मुख्य सचिव के पीत पत्र द्वारा पत्र द्वारा फरवरी

1982 में मांग कर अपने यहां बंद करा दिये जाने के कारण आगे की कार्रवाई बंद है यानी संबंधित व्यक्ति पर कार्रवाई क्यों नहीं की गयी है। माननीय मंत्री का जवाब है कि 23 मार्च 1982 को मुख्य सचिव द्वारा संचिका मांगी गयी और 24 मार्च 1982 को उन्हें संचिका मिली है लेकिन इसमें एक बात है कि संचिका मुख्य सचिव द्वारा दबायी गयी, इसको माननीय मंत्री डिसप्युट कहां कर रहे हैं ?

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह —इसको हम अभी डिसप्युट नहीं कर रहे हैं।

अध्यक्ष—इसका डिसप्युट करना होगा।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो हम इसकी जांच करा लेंगे।

डॉ० जगन्नाथ मिश्र—जो सूचना माननीय मंत्री दे रहे हैं, वह सही है लेकिन एक ही बात पर माननीय विधायकों ने आरोप से संबंधित पत्र दिया था, जिस पर जांच का आदेश दिया गया है, निगरानी विभाग में जांच की कार्रवाई हो रही है। जहांतक प्रोन्नति का सवाल है, वह सरकार के विभिन्न आदेशों में स्पष्ट है कि किस परिस्थिति में प्रोन्नति रोकी जायगी। अगर निगरानी विभाग यह कह दे कि जांच के दौरान इनकी प्रोन्नति रोकी जाय, तो प्रोन्नति रोकी जायगी। जब तक ऐसा आदेश नहीं होता है तबतक प्रोन्नति नहीं रोकी जा सकती। अनुमान पर सरकार कुछ नहीं कर सकती है। सारी बातों पर विचार करके ही सरकार प्रोन्नति देती है।

श्री वृशिण पटेल -आपने 26 फरवरी, 1982 को आदेश दिया है कि 15 दिनों के अन्दर जांच प्रतिवेदन दे दें, यह सही है या नहीं ?

अध्यक्ष—अब आप नहीं पूछ सकते हैं।

श्री मुंशीलाल राय—सरकार कहती है कि संचिका रोकी नहीं गयी है, यह बात मान भी ली जाय तो 8 फरवरी, 1982 को मुख्य सचिव, श्री प्रेम प्रकाश नैय्यर ने लिखा है—"अभी पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा नहीं गया है और आरोप प्रथम द्रष्टवा प्रमाणित है अथवा नहीं इस निष्कर्ष पर निगरानी विभाग अभी तक नहीं पहुंचा है। अन्तः वर्तमान स्थिति में कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्पों के आलोक में और निगरानी आयुक्त की टिप्पणी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि आरोपित पदाधिकारी के विरुद्ध आरोप प्रथम द्रष्टवा प्रमाणित हैं।

इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाय। जांच पूरी करने के लिये निगरानी विभाग को सभी कागजात भेज दी जाय। मैं निगरानी आयुक्त से जांच कार्य शीघ्र

सम्पादित करने का अनुरोध कर रहा हूं।" यह कैसे हो गया? सरकार कहती है कि 23 मार्च, 1982 को संचिका मांगी गयी और 24 मार्च, 1982 को उन्हें संचिका मिली।

अध्यक्ष—इसमें प्वायंट यह है कि जहांतक प्रोन्नति से भरने का प्रश्न है, मुख्यमंत्री का एक पालिसी स्टेटमेंट इस पर हुआ है, लेकिन जो खंड (3) पर आप पूछ रहे हैं उस बात के लिये मंत्री जी ने कहा है कि इसकी जांच करा लेता हूं जो आप पूछ रहे हैं उसके आलोक में ये कह रहे हैं। उसके बाद भी आप अगर संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं इसको देखूंगा।

(सदन में काफी शोर गुल)

अध्यक्ष—शान्ति, शान्ति। एक प्रश्न पर इतना समय नष्ट करेंगे तो कैसे काम चलेगा?

(काफी शोर गुल)

अध्यक्ष—(खड़े होकर) इसमें एक प्वायंट इनवाल्व है। आप निगरानी और पशुपालन विभाग से संबंधित प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्री मुंशीलाल राव—(बैठे बैठे) इसमें चीफ सेक्रेटरी ने लिखा है।

अध्यक्ष—चीफ सेक्रेटरी ने लिख दिया है तो वह गीड का आर्डर नहीं हो जाता है जिसको आप कोट कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी के आर्डर पर जबतक मंत्री का आर्डर नहीं हो जाता है तबतक वह सरकारी आदेश नहीं है। श्री मुंशीलाल राय ने पूछा है कि जब 1980 में संचिका मांगी गयी थी तो क्यों नहीं दी गई, इसपर इन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कराके देखता हूं। इसके बाद मुख्य मंत्री का भी एक पॉलिसी स्टेटमेंट हुआ है। उसके बाद मैंने कहा कि अगर आप इससे संतुष्ट नहीं होंगे तो मैं इसको देखूंगा।

श्री अश्विनी कुमार शर्मा—मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री वृशिण पटेल के प्रश्न पर आपने कहा था कि पूरक पूछ सकते हैं।

अध्यक्ष—यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। मैं पूरक नहीं पूछने दिया यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।